


:: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित शिक्षा-अधिकारी (प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि व समकक्ष) का, उनके नाम के सामने अंकित **अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04** में अंकित स्थान से आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम शिक्षा-अधिकारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक मय वर्तमान पदस्थापन	अवधि (माह से माह..... तक)	विद्यालय/स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	श्री महेश कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उमावि उण्डू जिला बाडमेर	जुन-2017	राजकीय उमावि0 उण्डू जिला बाडमेर
2	श्रीमती सुमन राठौड, प्रधानाचार्य राउमावि बापी जिला दौसा	अक्टुबर-2017 से नवम्बर-2017तक	राउमावि काली पहाडी जिला दौसा
		अगस्त-2017 से सितम्बर-2017तक	राउमावि फिडम फाईटर छिगनलाल शर्मा, करौली
3	श्री सुवालाल मीना, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उमावि बूटोली लक्ष्मणगढ अलवर	जुलाई-2017 से दिसम्बर-2017तक	जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर में वरिष्ठ व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध।
4	श्री विनोद कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उमावि0 देवगढ राजसमन्द	अगस्त-2017	राउमावि गिलूण्ड जिला राजसमन्द
5	श्री दलीप सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि भोडकी जिला झुंझुनूं	अगस्त-2017	राउमावि बन्शा मौलासर जिला नागौर
6	श्री सुभाष चन्द्र मेनारिया, प्रधानाचार्य राउमावि0 पालोदडा उदयपुर	सितम्बर-2015 से अक्टुबर-2015तक	रा0बालिका उमावि कोटडा जिला उदयपुर
7	श्री रविन्द्र सिंह रौव, प्रधानाध्यापक रामावि0 भीकली जिला दौसा	जुलाई-2017	रामावि पालावास जिला दौसा
8	श्री दिनेशचन्द्र आमेटा, प्रधानाध्यापक रामावि0 पुरोहितों की मादडी उदयपुर	जुलाई-2017	रामावि0 पुरोहितों की मादडी जिला उदयपुर
9	श्रीमती सन्तोष बत्तवाल, प्रधानाध्यापक रा0 बालिका मावि0 अनादरा सिरौही	नवम्बर-2017 से दिसम्बर-2017तक	रामावि0 मुदरला आबूरोड जिला सिरौही

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो नियमानुसार अवकाश प्रकरण का निस्तारण कर तदुपरान्त वेतन आहरण की कार्यवाही की जावे।


 संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

दिनांक : 09-01-2018

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/वेतन व्यवस्था/2017/09
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्य)
2. संबंधित जि.शि.अ. (माध्य)
3. संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
4. रक्षित/निजी पत्रावली हेतु।


 संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)